न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/5)

श्रीमती शान्ति देवी उर्फ शानादेवी पत्नि रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम ठठावता तहसील रतनगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार रतनगढ।
2. गिरधारी लाल पुत्र रामूराम
3. जडाव पुत्र रामूराम
4. पुरूषोतम पुत्र रामूराम
5. लक्ष्मणराम पुत्र रामूराम
6. संतोष पुत्री रामूराम
7. निर्मला पुत्री लिछमा पुत्री रामूराम
8. बिमला पुत्री लिछमा पुत्री रामूराम
9. सुनील पुत्र लिछमा पुत्री रामूराम

जाति जाट निवासी ठठावता तहसील रतनगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विनोद कुमार पुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 06.07.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के आदेश दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार रतनगढ ने प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ते सम्बन्धी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016 में चिन्हित रास्तो के रिकार्ड मे अंकन हेतु आदेश प्रदान करने की अनुशंषा उपखण्ड अधिकारी रतनगढ से की। उक्त अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ ने अपने आदेश दिनांक 20.02.2017 द्वारा तहसीलदार रतनगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रतनगढ को निर्देशित किया कि उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड एव राजस्व नक्शे में सलग्न नक्शे एव परिशिष्ट–ए में वर्णितानुसार कर पालना रिपोर्ट

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पेश करे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स के बीच इसी भूमि बाबत दावा (Case) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतनगढ जिला चूरू में चला, जिसमें उभय पक्ष के राजीनामा अनुसार दिनांक 11.09.2021 दावा विड्रोल खारिज किया गया। राजीनामा मुताबिक मानाराम व जगदीश खसरा नं. 175 के खातेदार विवादित रास्ते खेत खसरा नं. 176 रोही ठठावता की जगह खेत खसरा नं. 176 की सीवं उतरी व पूर्वी के चिपते हुवे रास्ते से आवागमन करेगे। आपसी विवाद नही करेगे तथा आपसी रजाबन्दी के फैसले को मानेगें। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी रतनगढ का आदेश दिनांक 20.02.2017 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रतनगढ को रिमाण्ड कर सिविल न्यायालय के निर्णय अनुसार निर्णय पारित करने का निर्देश देने का आदेश फरमावें।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी रतनगढ के निर्णय दिनांक 20.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होने खं. नं. 176 की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किया को चूनौती दी गई। अपीलाधीन आदेश के विरूद्व यह अपील दिनांक 01.03.2021 को प्रस्तुत हुई जिनके साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही दफा 96 सी पी सी का प्रार्थना प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलान्ट पक्षकार नही थें। चूंकि अपीलान्ट के अपीलाधीन आदेश में वर्णित खं. नं. के चिपते हुए काश्तकार होने से प्रभावित पक्षकार होने तथा अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही होना प्रमाणित होने के आधार प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एवं धारा 96 सी.पी.सी न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण रास्ता के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय मे भी वाद विचाराधीन रहा जो कि उभय पक्षो मे राजीनामा के आधार पर जरिये विड्रावल निर्णित हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रतनगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि सिविल प्रकरण में प्रस्तुत ईकरारनामा समझौता पत्र दिनांक 28.04.2021 के मध्यनजर उभय पक्षो को सुनकर, विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

6. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर